



कार्यालय नगरपालिका, श्रीमाधोपुर (सीकर-राज)

भू-आवंटन-पत्र

(राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 (बी) के तहत पुनः आवंटन)



क्रमांक 54 / 18-7-2011
 भूखण्डधारी का नाम श्री शास्त्री काल विद्या सोमिदर श्रीमाधोपुर
 पति/पिता का नाम श्री कृष्ण राम
 पता श्री गणेशराम जार
 भूखण्ड संख्या वाई नं 3 रवण्डेला पार्स प्लोड श्रीमाधोपुर
 योजना का नाम संश्रान्तिक उद्योजनाथ
 सहकारी स्थिति का नाम संश्रान्तिक उद्योजनाथ
 जमीन संख्या 3 नगरपालिका श्रीमाधोपुर

नगरपालिका अधिनियम 1956 एवं राज्य सरकार के आदेश क्रमांक ए 5 (3) म.दि. 13/89 दिनांक 10-7-89 की अनुपालना में उपरोक्त भूखण्ड प्रार्थी को आवासीय उपयोग हेतु नियमित कर नियमन दर पर पुनः आवंटित किया जाता है। आवंटन की शर्तें निम्न प्रकार होती।

1. यह आवंटन 89 वर्ष की सीमा पर किया जाता है।
2. इस भूखण्ड पर नियमानुसार सहरी जमाबन्दी देय होगी जो कि वर्तमान में इस क्षेत्र की नियमन दर / आवंटित दर का 2.5% / 5.0% प्रतिवर्ष प्रति वर्ग गज है। सहरी जमाबन्दी की उक्त राशि की नियमानुसार तय-समय पर बढ़ोतरी की जा सकेगी।
3. मकान निर्माण का कार्य आवंटन पर जारी होने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि में पूर्ण करना होगा।
4. आवंटन पत्र के अनुसार सेंट बैंक लॉन्डने होने एवं पत्रिका के विविध बंधन के अनुसार निर्माण किया जा सकेगा, इसके लिए भूखण्ड धारक द्वारा उपरोक्त निर्माण के लिए निर्धारित आवंटन - पर आरक्षण दरवाजे के साथ सहाय्य अधिकारी को प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा।
5. इस आवंटन पर के आवंटन पर उक्त भूखण्ड की सहाय्य / जीवन बीमा निगम / सिविल / सरकारी अणुकारी संभार / एम.टी.एन.सी. अथवा नेशनल हायवेज बैंक द्वारा अधिकृत अणुकारी संभारों के साथ मकान निर्माण के अर्थ के लिए गिरवी रखा जा सकेगा।
6. आवंटन पत्र नगरपालिका द्वारा अनुसूचित से आवंटन पत्र के अनुसार जारी किया गया है।
7. आवंटन द्वारा संबंधित विधियों, पत्र विधियों, राज्य सरकार / नगरपालिका के समय-समय पर जारी होने वाले विधियों, निर्णयों की अनुपालना की जाएगी।
8. प्रार्थी के आवंटन अनुसार भूखण्ड पर प्रार्थी का समस्त निर्धारित मकान पर आवंटन पर जारी किया जा सकेगा। अतः समस्त संबंधित किसी प्रकार के विवाद के लिए नगरपालिका जिम्मेदार नहीं होगी।
9. आवंटन द्वारा भूखण्ड विक्रय करने पर उक्त भूखण्ड का इस्तेमाल नगरपालिका के विधियों के अनुसार नगरपालिका से कराया होगा।
10. यह आवंटन पर भूखण्ड आवासीय उपयोग हेतु है। निर्मित भूखण्ड के संभार में राज्य सरकार के आदेश दिनांक ए 5 (3) म.दि. 13/89 दिनांक 10-7-89 द्वारा मकान निर्माण के आरक्षणों में प्रदत्त विविधता के तहत नियमन क्षेत्र निर्माण की विधित किया जाता है तथा नियमन अयोग्य निर्माण के संभार में संबंधित विधियों के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।
11. उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्तों के उल्लंघन किये जाने पर उक्त आवंटन निरस्त किया जा सकेगा।
12. भूखण्ड की लीजहोल्ड का नियमानुसार संजीवन करकाया जाना अनिवार्य होगा।

भूखण्ड का विवरण निम्नानुसार है :- संश्रान्तिक उद्योजनाथ
 भूखण्ड की लम्बाई x चौड़ाई 3192-22 वर्ग गज
 सामने ()
 पीछे ()
 बाजू ()
 अधिकतम एच. ए. आर. स्वीकार्य श्रीमाधोपुर संश्रान्तिक उद्योजनाथ
 भवन की अधिकतम स्वीकार्य ऊँचाई

सिद्धांत कार्यालयिक
 के इस्तेमाल

स्थिति अधिसूचना
 नगरपालिका, श्रीमाधोपुर

अधिकारी
 नगरपालिका, श्रीमाधोपुर

अध्यक्ष
 नगरपालिका, श्रीमाधोपुर

क्रमांक : मुनि / /
 दिनांक

प्रतिनिधि - लेख, माध्यम, भूमिशास्त्र / नगरपालिका को सुझाव देते हैं सहरी जमाबन्दी के सविस्तर सुझाव देना करने हेतु।



नगरपालिका, श्रीमाधोपुर जिला-सीकर (राज.)

शहरी जमाबन्दी के आधार पर आवासीय प्रयोजनों के लिए भूमि पट्टा-विलेख (कजस्थान भू-कजस्थ अधिनियम, 1956 की धारा 90 'ख' के प्रावधानों के अन्तर्गत पुनः आवंटित भू-खण्डों के उपयोग हेतु)

यह इकरतनामा जो आज दिनांक 20 को आवंटन/विक्रय-पत्र संख्या को कजस्थान राज्य के राज्यपाल जिन्हें इसमें इसके पश्चात् सरकार कहकर सम्बोधित किया गया है और दूसरी ओर श्री/श्रीमती श्री शास्त्री बाहा/विद्या मन्दिर समिति श्रीमाधोपुर अशोक स्थिति श्री कुम्हाराम पुत्र / पत्नी श्री गणेशराम डार जाति डार व्यवसाय निवासी डार (जिनको) इसमें इसके पश्चात् पट्टेदार कहकर सम्बोधित किया गया है और इस इबादत में जहां कहीं प्रसंग से वैसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबन्धक, प्रतिनिधि और मुन्तकील अलैह भी सम्मिलित होंगे) के बीच लिखा गया है।

इस बात का साक्षी है कि रुपये 1,27,689/35 अक्षर रूपरेखा पर 500 वर्ग मीटर क्षेत्रफल पर जमा कर के रूप में रुपये 1,27,689/35 रुपये मात्र की रकम के नियमन शुल्क जो पट्टेदार द्वारा अदा कर दिया गया है (और जिसकी रसीद सरकार इसके द्वारा स्वीकार करती है) और इसमें उल्लिखित शर्तों और करारों जो पट्टेदार द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जावेंगे के एवज में सरकार इसके द्वारा पट्टेदार को जमीन का वह तमाम प्लाट (जो इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर सम्बोधित किया गया है) नियमन और पुनः आवंटित करती है जो 29/5/99 तमाम निर्माण सहकारी समिति की योजना में स्थित है और जो अपनी सीमाओं और क्षेत्रफल के साथ उसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्ण रूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इसके संलग्न नक्शे में दिखलाया गया है, और जिसे पूर्व स्वामित्व संबंधी स्वत्वों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबन्धों, वैध शर्तों और करारों के अधीन पट्टेदार अपने उपयोग, उपभोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात्

1. उक्त भूखण्ड शहरी जमाबन्दी के आधार पर लीज होल्ड पर पुनः आवंटित किया गया है। लीज की अवधि, 99 वर्ष होगी।
2. (अ) पट्टेदार नगरपालिका, श्रीमाधोपुर के कार्यालय में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर नियत अन्य स्थान पर प्रत्येक वर्ष अर्थात् के प्रथम दिन उक्त भू-खण्ड के संबंध में आरक्षित दर रुपये प्रतिवर्गमीटर की दर से कुल राशि रुपये की 2.5 % की दर से शहरी जमाबन्दी जमा करायेगा। निर्धारित तिथि तक जमा नहीं करने की दशा में नियमानुसार देव ब्याज राशि वसूल की जावेगी। 31 मार्च से पूर्व अधिम शहरी जमाबन्दी जमा करने पर 10 % की छूट भी देव होगी।
2. (ब) उक्त वर्ष की अन्तिम शहरी जमाबन्दी एकमुस्त जमा करने पर लीज मुक्ति प्रमाण-पत्र प्रदत्त किया जावेगा। साथ ही राज्य सरकार के आदेश क्रमांक 4-5 (2) न.वि./3/99 दिनांक 15-11-99 के अनुसार शहरी जमाबन्दी आरक्षित दर के बजाय केवल नियमन राशि रुपये की 2.5 % प्रतिवर्ष की दर से देव होगी। उक्त वर्ष की एकमुस्त जमा राशि - 10,21,52/ रुपये के 12/67 के दिनांक 12/7/2011 की जमा करवाई गई।
3. शहरी जमाबन्दी की निर्धारित अवधि में प्रत्येक 15 वर्ष व्यतीत होने के तुरन्त पश्चात् तथा प्रत्येक हस्तान्तरण पर 25 % वार्षिक वृद्धि होगी। 15 वर्ष की अवधि आवंटन पत्र जारी होने की तिथि से संगणित की जायेगी।
4. उपरोक्त शर्तों तक किसी रकम या परिचयित रकम या उसके किसी अंश की जो शहरी जमाबन्दी के कारण बाजिब हो, जमाबन्दी न करने पर सरकार ऐसी रकम या उसके अंश को उस तरीके से जो उस समय मालगुजारी के बकाया की वसूली के लिए निर्धारित किया गया है, वसूल करेगी और वसूल करने के लिए सक्षम होगी।
5. उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल उस पर करने के आसब से किसी भवन या भवनों के बनवाने में ही होगा। भूखण्ड का व्यावसायिक या अन्य कमाने की दृष्टि से उपयोग किसी भी भांति नहीं किया जा सकेगा। निर्मित भूखण्ड के संबंध में राज्य सरकार के आदेश दिनांक 10-7-99 क्रमांक 4-5 (3) न.वि./3/99 द्वारा भवन विनियमों के प्रावधानों में प्रदत्त विधिवत के अन्तर्गत निर्माण ही निबधित किया गया है तथा नियमन अयोग्य निर्माण के संबंध में संबंधित विनियमों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।
6. यदि भूखण्ड 500 वर्गमीटर क्षेत्रफल तक का रिक्त है तो उस पर निर्माण आवंटन पत्र के आधार पर किया जा सकता है एवं सेट बैक साइट प्लान के अनुसार छोड़ने होंगे तथा प्राधिकरण के बिल्डिंग बाइलॉज के अनुसार निर्माण किया जाना होगा इसके लिए भूखण्ड धारक द्वारा प्रस्तावित निर्माण के लिए निर्धारित आवेदन पत्र आवश्यक दस्तावेज के साथ साथ अधिकारी को प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा।

क्रम के लिए निररी रखा जा सकेगा।



- आवंटी द्वारा मूखण्ड विक्रय करने पर डेटा द्वारा मूखण्ड का हस्तांतरण नगरपालिका श्रीमाधोपुर के नियमों के अनुसार प्राधिकरण से करधाना होगा।
- पट्टेदार उक्त मूखण्ड या उस पर बनाये गये भवन या भवनों को या उन दोनों के किसी भाग को किसी ऐसे आराय के लिए जो पिछले पट में निर्देशित आराय के असंगत है बिना सरकार या सरकार के ऐसे अधिकारी की लिखित स्वीकृति के, जो एतदर्थ नियुक्त किया हो, न तो उपयोग में लावेगा और न उपयोग में लाने की अनुमति ही देगा।
- पट्टेदार द्वारा आवंटन पत्र की शर्तों एवं पट्टे की उपरोक्त शर्तों की पूर्ण पालना की जावेगी। यदि किसी भी शर्तों का उल्लंघन किया गया तो उक्त मूखण्ड एवं उस पर बने हुए भवन यदि कोई हो, सहित उक्त मूखण्ड बिना किसी मुआवजे की राशि के अधिग्रहण कर लिया जावेगा।

नोट- इस मूखण्ड की नियमन राशि 127689/- रुपये रु. प्रति वर्गगज की पंजीकृत मूल्य राशि रु.....
 होती है। अतएव स्टाम्प संख्या.....
 बहिस्तियत पट्टा इसके साथ लगाये जाते हैं।

कच्चे का नाम नगरपालिका श्रीमाधोपुर विस्तृत नाम क्षेत्रफल सहित	पूर्व..... उत्तर..... समिति का नाम	पश्चिम..... दक्षिण..... राष्ट्रियक उमेजनाथ-31, 92-22 फर्गिज	मूखण्ड संख्या..... सीमा संख्या का नाम	पूर्व..... पश्चिम..... उत्तर..... दक्षिण.....	स्थल मानचित्र संलग्न है ✓
--	--	---	---	--	---------------------------------

इसके सामी के रूप में इसके पत्रकारों ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

सरकार की ओर से

Pally
अधिसाक्षी अधिकारी
बवडाविधा, श्रीमाधोपुर

अध्यक्ष
नगर पालिका, श्रीमाधोपुर
 सक्षम अधिकारी को हस्ताक्षर

आज सन् 20..... माह के..... दिनांक.....
 श्री कानाशम खैरानी सक्षम
 अधिकारी, नगरपालिका, श्रीमाधोपुर, नगरपालिका, श्रीमाधोपुर
 निम्न की उपस्थिति में श्रीमाधोपुर में हस्ताक्षर किये।

सामी :-

- नाम श्री क. लाल लाल साहुल
 पिता/पति का नाम श्री क. लाल लाल साहुल
 व्यवसाय कृषि
 निवास स्थान श्रीमाधोपुर
- नाम श्री रामजी लाल देहरा
 पिता/पति का नाम श्री क. लाल लाल देहरा
 व्यवसाय कृषि
 निवास स्थान श्रीमाधोपुर
 आज दिनांक 18-7-2011
 निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री कु. श. राम
 अधिकार द्वारा कार्यालय, नगरपालिका श्रीमाधोपुर में हस्ताक्षर किये गये।

depo
 सामी को हस्ताक्षर
ram
 सामी को हस्ताक्षर
कु. श. राम
 अधिकार को हस्ताक्षर

श्रीमाधोपुर विस्तृत

सामी :-

- नाम श्रीमती सुमन कौर
 पिता/पति का नाम श्री मोर सिंह कौर
 व्यवसाय कृषि
 निवास स्थान श्रीमाधोपुर
- नाम श्रीमती सुमन कौर
 पिता/पति का नाम श्रीमती सुमन कौर

su
 सामी को हस्ताक्षर
su
 सामी को हस्ताक्षर



TO AHMADNAGAR
TO AHMADNAGAR
TO AHMADNAGAR



पत्रकार मंडळ - श्री शाहूजी बाल विद्या मंदिर संस्थित, **शिवाजीनगर, अहमदनगर जिल्हा, महाराष्ट्र**
अहमदनगर जिल्हा, अहमदनगर तालुका, शिवाजीनगर, पोस्ट नं. ३, पोस्टाधिकार क्षेत्र नं. ३०४९/१, वाट नं. ३, शिवाजीनगर, अहमदनगर जिल्हा, महाराष्ट्र

पत्रकार मंडळ
अहमदनगर

भूमी मालिक
श्री. शाहूजी बाल विद्या मंदिर संस्थित
अहमदनगर

पत्रकार मंडळ



श्री. शाहूजी बाल विद्या मंदिर संस्थित
अहमदनगर

अहमदनगर
श्री. शाहूजी बाल विद्या मंदिर संस्थित

अहमदनगर
श्री. शाहूजी बाल विद्या मंदिर संस्थित

श्री. शाहूजी बाल विद्या मंदिर संस्थित
अहमदनगर
श्री. शाहूजी बाल विद्या मंदिर संस्थित